208

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष : श्री एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2081 -एक/2016 विरूद्ध आदेश दिनॉक 14-6-2016 -पारित व्दारा - अनुविभागीय अधिकारी, नौगॉव जिला छतरपुर - प्रकरण कमांक 92/2014-15 अपील

1- हरदू पुत्र स्व0 भूरा अहिरवार
2- श्रीमती भूरी पत्नि भूरा अहिरवार
दोनों निवासी विलहरी तहसील नौगॉव
जिला छतरपुर मध्य प्रदेश ---आवेदकगण

विरूद्ध

कालीचरण पुत्र सुन्दर अहिरवार
ग्राम करहरी तहसील गौरिहार
जिला छतरपुर हाल निवासी
भवन क- डी-11 बेगमपुर एक्स.ब्रह्मशक्ति
स्कूल के पास पब्लिक स्कूल रोहिणी दिल्ली ---अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री राजेन्द्र जैन)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री डी0एस0चौहान)

आ दे श

(आज दिनांक 19-1-2017 को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, नौगॉव जिला छतरपुर के प्रकरण कमांक 92/2014-15 अपील में पारित आदेश दिनांक 14-6-2016 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक क0 1 ने तहसीलदार नौगॉव को मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 115,

116 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया कि उसके पिता भूरा की मृत्यु उपरांत वर्ष 1985-86 में ग्राम विलहरी की नामान्तरण पंजी के सरल क्रमांक 4 पर दिनांक 20-2-1985 से ग्राम विलहरी की भूमि खसरा नंबर 936,937,941 पर उसका एंव उसकी मॉ भूरी अहिरवार का नामान्तरण किया गया था एंव भूमि खसरा नंबर 1123/1, 1148/2, 1156, 1157/2, 1172/2, 1173/1 कुल किता 6 (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) पर त्रृटि से आवेदकगण के साथ अनावेदक कालीचरण का नाम लिख दिया गया। जब खसरे की नकल पटवारी ने उसे प्रदान की , तब इसकी जानकारी हुई। अतः अपलेखन की त्रृटि सुधार की जाय। तहसीलदार नौगॉव ने प्रकरण क्रमांक 78 अ-6-अ/2012-13 पंजीबद्ध किया तथा वाद जॉच आदेश दिनॉक 01-05-14 पारित करके अनावेदक का नाम खसरे से विलोपित करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी, नौगॉव के समक्ष दिनांक 29-5-15 को अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी ने अंतरिम आदेश दिनांक 14-6-2016 से अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा कर दिया । इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

4/ निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के एंव उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को के क्रम में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर वस्तुस्थिति यह पाई गई कि यह निर्विवाद है कि वादग्रस्त भूमि मृतक भूरा अहिरवार के नाम पर वर्ष 1985 के पूर्व

से दर्ज चली आ रही थी एंव मृतक भूरा के मरने के वाद उसके विधिक वारिस हरदू पुत्र स्व0 भूरा अहिरवार एंव श्रीमती भूरी पत्नि भूरा अहिरवार तहसीलदार ने जॉच में पाये हैं। तहसीलदार के आदेश दिनांक 1-5-2014 में दिये गये निष्कर्ष इस प्रकार हैं :-

*** ग्रामवासियों के बताये अनुसार कालीचरण का जन्म शॉतिवाई के मायके में हुआ था व भूरा अहिरवार ने शॉतिवाई को यह कहकर भगा दिया था कि शांतिवाई की संतान भूरा अहिरवार की संतान नहीं है परन्तु वाद में कालीचरण जब 1,2 वर्ष का था शॉतिवाई , कालीचरण को लेकर ग्राम करहरी तहसील गौरिहार चली गई थी। अनावेदक क-2 कालीचरण , सुन्दरलाल का पुत्र है जो ग्राम करहरी तहसील गौरिहार का निवासी था ग्राम करहरी की नामांत्रण पंजी वर्ष 2012-13 पर प्रविष्टि कमांक 4 पर दर्ज ग्राम करहरी की भूमि खसरा नंबर 364 रकबा 0.688 है. भूमि का मृतक सुन्दरलाल तनय छोटा चमार एंव मृतक शांति पति सुन्दरलाल चमार के स्थान पर उसके बैध वारिस कालीचरन, मूलचंद तनय सुन्दरलाल , पम्पो पुत्री सुन्दरलाल चमार के नाम नामांत्रण स्वीकृत हुआ है *।**

इसके वाद प्रमाणित करने के लिये क्या रह गया कि अनावेदक कालीचरण किस आधार पर भूरा का पुत्र है और किस आधार पर मृतक भूरा की भूमि पर उसके विधिक वारिस के अतिरिक्त कालीचरण का नाम भूमि पर अंकित किया गया है । निश्चित है ऐसा अंकन विधि के प्रभाव से शून्यवत् है और ऐसी त्रृटिपूर्ण प्रविष्ट को राजस्व अधिकारियों व्दारा कभी भी सुधारा जा सकता है और ऐसे सुधार आदेश के विरूद्ध भूमि से असम्बद्ध व्यक्ति को अपील करने का अधिकार नहीं है । इसके वाद भी अनुविभागीय अधिकारी ने असम्बद्ध व्यक्ति व्दारा प्रस्तुत बेरूम्याद अपील में हुये विलम्ब को क्षमा करने में त्रृटि की है ।

1. भू राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.)-धारा 47 एंव परिसीमा अधिनियम की धारा-5 - असम्बद्ध व्यक्ति के हित में अनुचित विलम्ब को क्षमा करके एक पक्षकार को लाभ देते हुये द्वित्तीय पक्षकार को प्रोदभूत मूल्यवान अधिकार को विनष्ट नहीं किया जाना चाहिए।
2. परिसीमा अधिनियम 1963की धारा-5 - विलम्ब क्षमा किये जाने हेतु

प्रस्तुत आवेदन में समुचित कारण दर्शाए जाने में विफलता पाई गई - विलम्ब क्षमा नहीं किया जा सकता।

अनुविभागीय अधिकारी नौगॉव ने आदेश दिनांक 14-6-2016 पारित करते समय उक्त की अनदेखी की है जिसके कारण उनके व्दारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी, नौगॉव जिला छतरपुर के प्रकरण कमांक 92/2014-15 अपील में पारित आदेश दिनांक 14-6-2016 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है । फलतः तहसीलदार नौगॉव व्दारा प्रकरण कमांक 78 अ-6-अ/2012-13 में पारित आदेश दिनॉक 01-05-14 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर